

—चऊअन—

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5
संख्या क0नि0 5-1389/11-2005-500(137)-2003
लखनऊ, दिनांक 29 मार्च, 2005
अधिसूचना
आदेश

प0आ0-102

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल दिनांक 15 मार्च, 2005 से सरकारी अधिसूचना संख्या क0नि0 5-1023/11-2005-500(137)-2003, दिनांक 15 मार्च, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में शब्द, "वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण समनुदेशन" के स्थान पर शब्द "ऋण समनुदेशन" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
शेखर अग्रवाल,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N.5-1389/XI-2005-500(137)-2003, dated March 29, 2005 for general information:

No. K.N.5-1389/X1-2005-500(137)-2003
Lucknow, Dated March 29, 2005
Notification
Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no.10 of 1897), the Governor is pleased to make with effect. from March 15, 2005 the following amendment in the Government notification no. K.N. 5-1023/XI-2005-500(137)-2003, dated March 15, 2005.

AMENDMENT

In the aforesaid notification, for the words "assignment of debt by Financial Institutions", the words "assignment of debt" shall be substituted.

By order,
Sd/-Illegible
SHEKHAR AGARWAL,
Pramukh Sachiv.